



राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2024/450

—:आदेश:—

दिनांक 05/11/24

तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2024/1577 दिनांक 20.06.2024 से ग्राम सेन्दला के खसरा नंबर 328 व 328/1 में सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शे में हुई त्रुटि को दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत सेग्रीगेशन के दौरान हुई नक्शे की त्रुटि को दुरुस्त कर माफिक रिपोर्ट निरीक्षक भू.अ. बेडा ग्राम सेन्दला के खसरा नंबर 328/1 की जगह 328 एवं 328 की जगह 328/1 नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू.अ. बेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेशानुसार नक्शे में शुद्धि कर पालना रिपोर्ट पेश करें।



पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
**सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली**  
दिनांक 05-11-2024

कमांक/कोर्ट/2024/2246-40  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा
3. पटवारी हल्का कुमटिया को पालनार्थ।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
**सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली**